राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांकः प. 2(63)राज्-9/2014 जयपुर, दिनांकः- 29/09/2014

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

-:परिपत्र:-

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और खातेदार राजकीय (चारागाह) में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में "चारागाह" दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वंय की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकार्ड दर्ज किया जाये। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है, की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को विनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावे।

ह०/-

(अनिल कुमार अग्रवाल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री (मुख्यमंत्री जी)
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. समस्त शासन संयुक्त सचिव/उप शासन सचिवगण, राजस्व विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव